न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 526/17 (RCMS No.2017/00562) (धारा 76राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. लक्ष्मीनारायण | पिस0 चौथमल | जाति काछी निवासी ग्राम रामपुरा तहसील
2. महेन्द्र | व जिला सवाई माधोपुर
3. कांती |
4. सरोज | पुत्रियां चौथमल
5. गायत्री |
6. गणेशी वेवा चौथमल

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रामकोरी वेवा रामस्वरूप जाति काछी | निवासी रामपुरा तहसील व जिला सवाई
2. धन्नी पुत्री रामस्वरूप काछी | माधोपुर
3. त्हसीलदार भू.अ. तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 15.12.17 एवं नामा0 सं0 178 दिनांक 25.06.15 वांके ग्राम रामपुरा तह0 स0मा0

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्टस
2. श्री रघुवीर सिंह राजावत वकील रैस्पो0 सं0 1 व 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—27.09.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नामान्तरकरण सं0 178 निर्णय दिनांक 25.06.2015 ग्राम रामपुरा तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 5, 67, 118, 119, 129, 130, 355, 375 किता 8 रकवा 3.40 हैक्टेयर वांके ग्राम रामपुर तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार गोपाल पुत्र नाथू काछी था। गोपाल के फौत होने पर एवं गोपाल के दो पुत्र चौथमल व रामस्वरूप के फौत होने पर नामा0 सं0 178 चौथमल के

वारिसान लक्ष्मीनारायण वगैरहा पिसरान चौथमल हि0 1/2 व रामस्वरूप के वारिसान रामकोरी पत्नि रामस्वरूप व धन्नी पुत्र रामस्वरूप हि0 1/2 के नाम तहसीलदार स0 मा0 के आदेश दिनांक 24.06.15 एवं उप जिला कलक्टर स0 मा0 के निर्णय दिनांक 20.02.91 की पालना में तहसीलदार स0मा0 ने दिनांक 25.06.15 को नामान्तरकरण तस्दीक किया। इस नामा0 आदेश के विरूद्ध चौथमल के वारिसान लक्ष्मीनारायण वगैरहा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी उनके पिता चौथमल के नाम थी उनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का नामान्तरकरण जरिये विरासत अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज हैं। तहसीलदार ने नामा0 सं0 178 रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। अपीलान्ट को सुना नही गया। पूर्व में उक्त आराजी उनके दादा गोपाल पुत्र नाथू के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट के पिता चौथमल के नाम दर्ज हो गयी। चौथमल के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी। उक्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज है। यदि अपीलान्ट के पिता ने कोई राजीनामा भी कर लिया है तो वह राजीनामा निरस्त योग्य है। चौथमल को राजीनामा करने का कोई हक अधिकार नही है। रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का उप जिला कलक्टर स0 मा0 के न्यायालय पेश कर रखा है। जिसमें अपीलान्ट ने उज्रदारी पेश कर रखी है। उक्त प्रकरण में डिक्री 24 वर्ष पुरानी है जबकि किसी भी डिक्री की मियाद 12 वर्ष होती है एवं 12 वर्ष तक उसकी पालना करायी जा सकती है। 12 वर्ष पश्चात उक्त डिक्री का कोई अस्तित्व नही रहता है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 178 निरस्त किया जावे। रैस्पो0 ने कथन किया कि चौथमल व रामस्वरूप गोपाल के पुत्र थे। गोपाल की मृत्यु होने पर नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 अकेले चौथमल के नाम दर्ज हो गया। जिसका दावा उप जिला कलक्टर के न्यायालय में चला था। जहॉ दोनों भाईयों में राजीनामा हुआ। उप जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.91 से नामा0 सं0 59 निरस्त कर दिया तथा 1/2 हिस्सा चौथमल व 1/2 हिस्सा रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में नामा0 दर्ज किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त नामा0 को सही मानते हुऐ अपील दिनांक 15.12.17 को खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पिता चौथमल के नाम दर्ज थी। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट के हक में नामा0 दर्ज हो गया। अपीलान्ट अपने दादा के जीवन काल के समय से ही आराजी पर काबिज हैं। विवादित नामा0 दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना नही गया, न ही मौके पर कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की है। जबकि नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व नियम 125 से लेकर 131 की पालना किया जाना मेण्डेटरी है। राजस्व रिकार्ड से अपीलान्ट का कब्जा साबित है। उससे पूर्व अपीलान्ट के पिता आराजी पर काबिज थे। मौके पर अपीलान्ट की फसल खडी हुई है। आज भी अपीलान्ट का ही कब्जा है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पूर्व में उप जिला कलक्टर द्वारा नामा0 निरस्त किया जा चुका है। उनका यह कथन असत्य है। जबकि चौथमल का नामा0 कभी भी निरस्त नही हुआ। पूर्व में यह आराजी अपीलान्ट के दादा गोपाल पुत्र नाथू के नाम थी। उनके स्वर्गवास के बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरासतन अपीलान्ट के पिता चौथमल पुत्र गोपाल के नाम नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 से दर्ज हुई। अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद विरासत नामा0 सं0 159 से अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी। अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर पैदावार करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। अपीलान्ट के पिता के उपर कोई दावा कर रखा हो तो उसकी जानकारी अपीलान्ट को कभी नही थी। उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी में राजीनामा करने का अपीलान्ट के पिता को कोई अधिकार नही था। उक्त आराजी पर आज भी अपीलान्ट ही काबिज चले आ रहे हैं। रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी उप जिला कलक्टर स0 मा0 के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट ने दिनांक 17.06.15 को उज्रदारी पेश कर रखी है। जिसकी जानकारी पटवारी व तहसीलदार को भी है परन्तु इन सब तथ्यों को नजर अंदाज कर रैस्पो के नाम नामा0 दर्ज कर दिया है। उनका तर्क है कि नामा0 सं0 178 उप जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 20.02.91 के आधार पर दर्ज किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। क्योंकि उक्त नामान्तरकरण निर्णय के 24 वर्ष बाद खोला गया है जबकि न्यायालय के निर्णय की पालना अधिकतम 12 वर्ष की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय सही नही हैं। अतः अपील स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी गोपाल पुत्र नाथू की थी। गोपाल के स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान चौथमल व रामस्वरूप के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। परन्तु गोपाल के फौत होने पर उसकी विरासत अकेले चौथमल के नाम नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 से दर्ज हो गयी। इसके विरूद्ध रैस्पो0 ने उप जिला कलक्टर स0मा0 के न्यायालय में अपील पेश की थी। जहॉ दोनों भाईयों में राजीनामा हो गया तथा नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 निरस्त कर दिया तथा विवादित आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिनांक 20.02.91 को जारी किये। विवादित नामा0 सं0 178 उक्त आदेश की पालना में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें सभी वारिसान का हक व अधिकार होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामा0 को सही मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी का खातेदार गोपाल पुत्र नाथू था। गोपाल के फौत होने पर उसकी विरासत चौथमल पुत्र गोपाल के नाम नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 से दर्ज हो गयी। गोपाल के दो पुत्र चौथमल व रामस्वरूप थे जो फौत हो चुके हैं। रामस्वरूप की वेवा व पुत्री धन्नी ने उप जिला कलक्टर के न्यायालय में दावा दायर किया। उप जिला कलक्टर ने दावा दिनांक 20.02.91 को डिक्री कर नामा0 सं0 59 दिनांक 23.03.75 निरस्त कर दिया तथा विवादित आराजी में 1/2 में रामकोरी पत्नि रामस्वरूप व धन्नी पुत्री रामस्वरूप के नाम एवं 1/2 हिस्सा चौथमल पुत्र गोपाल के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार ने उप जिला कलक्टर की डिक्री दिनांक 20.02.91 के आधार पर नामा0 सं0 178 चौथमल के वारिसान लक्ष्मीनारायण वगैरहा पिसरान चौथमल हि0 1/2 व रामकोरी पत्नि रामस्वरूप व धन्नी पुत्र रामस्वरूप हि0 1/2 के नाम दर्ज हुआ। इस नामा0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश के विरूद्ध चौथमल के वारिसान लक्ष्मीनारायण वगैरहा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त नामा0 को सही मानते हुऐ अपील दिनांक 15.12.17 को खारिज कर दी।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज थी। विवादित नामा0 दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। जहॉ तक उप जिला कलक्टर के निर्णय व डिक्री की पालना में नामा0 दर्ज करने का प्रश्न है उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.91 के हैं जिन्हें 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। नियमानुसार डिक्री की पालना 12 वर्ष तक की जा सकती है। यदि उसके बाद डिक्री के अनुसार अमल किया जाना है तो पुनः उक्त डिक्री के संबंध में उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर डिक्री की इजराय करानी होती है। उसमें वह न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करता है। उस निर्णय के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज थी। जैसाकि राजस्व रिकार्ड से जाहिर है। इसलिये अभिलिखित खातेदार का कब्जा ही विवादित आराजी पर माना जायेगा। नामा0 दर्ज करते समय तहसीलदार को रिकार्ड व मौके की जॉच करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 125 से लेकर 131 की पालना नही की है जो मेण्डेटरी है। इसके अलावा रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी उप जिला कलक्टर स0 मा0 के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट ने दिनांक 17.06.15 को उज्रदारी पेश कर रखी है, जो विचाराधीन था। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री के 24 वर्ष बाद नामा0 दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कानूनी बिन्दु पर विचार नही कर, सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है, जो उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नामा0 सं0 178 निर्णय दिनांक 25.06.15 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official